

IV

षट् खण्डागम सूत्र के विषय-वस्तु पर प्रकाश-दाएं।

शौरसेनी ब्राह्मतागम-साहित्य के इतिहास के अनुसार षट्खण्डागम लोकनाथक तीर्थकर भगवान महावीर के सर्वोदयी उपदेशों का मूलस्रोत है। उनके प्रथम गणधर गौतम-गोश्रीय इन्द्रभक्ति जो गौतम गणधर के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने वादशांग के रूप में महावीर के वाणी को लिख ड किया।

षट् आगम छह खण्डों में विभक्त है जीवाहुण, खुदाबन्ध, बन्धसामितिबिचय, वेदना, वर्गणा, और महाबन्ध।

(1) जीवाहुण - इसमें जीव के गुण, धर्म और अनेक अवस्थाओं का वर्णन आठ प्ररूपणाओं में किया गया है ये आठ प्ररूपणाएं सत्, संख्या, संज्ञ, स्पर्शन, काल, अन्तरभाव और अल्प बहुत्व है। जीवाहुण खण्ड की दूसरी प्ररूपणा इण्डप्रमाजानुगम है। इसमें बंधे हुए कर्मों की उत्कृष्टस्विति का निरूपण किया गया है। इसमें जीवों के वादर और सूक्ष्म भेदों के पर्याप्त और अपर्याप्त भेद किये गये हैं। इस खण्ड में कुल 2375 सूत्र हैं।

(2) खुदाबन्ध - इसमें सार्गणा स्वानों के अनुसार कौन जीव बन्ध रहें और कौन अबन्ध का विवेचन किया गया है। इस बन्ध में 1582 सूत्र हैं। इसमें कर्म प्रकृति के बन्धक अधिकार के बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बन्धविधान नामक चार अनुश्रोतों में से बन्धक का प्ररूपण किया गया है। कर्मसिद्धान्त की दृष्टि से षट् द्वितीय खण्ड भी बहुत उपयोगी है। इसका विवेचन उभारह अनुश्रोतों द्वारा किया गया है। इन उभारह अनुश्रोतों के पूर्व प्रकृताविरुद्ध रूप में बन्धकों के सत्त्व की प्ररूपणा की गयी है और अन्त में उभारह अनुश्रोत द्वारा ही चूलिका के रूप में महादण्ड दिया गया है। इस प्रकार इस खण्ड में 13 अधिकार हैं।

(3) बन्धसामितिबिचय - इस बन्ध के सामिति पर विचार किया गया है। इसमें बताया गया है कि कौन सा कर्मबन्ध किस गुण स्वान और सार्गणा में संभव है। इस खण्ड में कुल 324 सूत्र हैं। कर्म सिद्धान्त की दृष्टि से षट् प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रकृतिषों का बन्ध, उदय सत्त्व, बन्धप्रमुचिदि आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है।

(4) वेदनाखण्ड - इस खण्ड में 1449 सूत्र हैं। जिसमें कर्म सिद्धान्त के 24 अधिकारों में से कृति और वेदना नामक दो अनुश्रोतों द्वारा के नाम वेदना खण्ड बताया गया है। आरम्भ में मंगलान्तरण किया गया है।

इसमें निक्षेप अधिकार के नाम, स्वापता, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपों

द्वारा वेदना के स्वरूप का स्पष्टीकरण किया गया है।

⑤ वर्गीकरणरूप → इसमें स्पर्श, कर्म, और प्रकृति नामक तीन अनुभोगों द्वारा प्रतिपादन किया गया है। स्पर्श अनुभोग द्वारा स्पर्शनिक्षेप, स्पर्शानभिभाषणता, स्पर्शनाम विधान, स्पर्शद्रव्यविधान आदि 16 अधिकारों में स्पर्श का विचार किया गया है। कर्म अनुभोग द्वारा नामकर्म, स्वापताकर्म, द्रव्यकर्म प्रयोगकर्म और भावकर्म का प्रवर्णन है।

⑥ महाबन्ध → बंधनीच अधिकार की समाप्ति के पश्चात् प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध का विवेचन है। यह महाबन्ध अपनी विशालता के कारण प्रत्यक्ष ग्रंथ माना जाता है।